



न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

मु0न0

ता0रजू

निर्णय दिनांक

04 / 2017

06.02.2017

27-3-17

पीठासीन अधिकारी:- रघुनाथ खटीक [आर.ए.एस]

1. आनन्दी लाल पुत्र उँकार जाति रेगर निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई
माधोपुर राजस्थान वादी

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

प्रतिवादी

वादी की ओर से श्री रामकेश मीना एडवोकेट

दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती तहत दफा 88 आर टी एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद पत्र दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती तहत दफा 88 आर0 टी0 एक्ट का प्रस्तुत किया है जिसका संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार से है कि वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा न0 2478 रकबा 1.26है0 ग्राम चौथ का बरवाडा मे स्थित है जिसमे से वादी ने 4/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बदाम देवी, सुशीला, मीनाक्षी व सीताराम को विक्रय कर दिया जिसका उनके हक मे नामान्तकरण संख्या 578 दिनांक 20.04.2010 खुलकर संयुक्त रुप से खातेदारी हो गई और मुताबिक खातेदारी सभी अपनी-अपनी भूमि पर संयुक्त रुप से काबिज होकर अपने-अपने उपयोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे हैं। वादी एवं अन्य खातेदारो ने अपनी-अपनी खरीद शुदा आराजी का आपस मे तकासमा कर लिया कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 09.12.2010 बंटवारा होकर पृथक-पृथक खातेदारी हो गई। मुताबिक बंटवारे के वादी के नाम खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.2500है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा की खातेदारी हो गई तथा जमाबंदी मे अंकन हो गया। वादी ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.2500है0 अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि का आबादी भूमि मे संपरिवर्तन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 25.05.2011 तस्दीक किया गया जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 मे किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 के बाद जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 जब तैयारा की गई तो उक्त जमाबंदी मे खसरा न0 5484/2478 रकबा 0.25है0 को राजस्व कर्मचारियों की गलती से सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया जबकि 0.25है0 की भी वादी के नाम ही खातेदारी अंकित की जानी चाहिए थी। वादीको राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई इस

गलती की कोई जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक 21.08.2015 को वादिया अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तो पता चला की वादिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है 0 सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज है। जबकि वास्तविक रूप से 0.25 है 0 की वादी के नाम खातेदारी होनी चाहिए थी। इस पर वादी ने पटवारी हल्का से इसे दुरुस्त करने को कहा तो पटवारी हल्का ने बताया की न्यायालय में वाद दायर कर दुरुस्त कराओ इस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है 0 की अपनी नाम खातेदारी की घोषणा करवाये तथा इस रकबे में से आबादी भूमि में परिवर्तन करवाये गये खसरा 5484/2478 रकबा 0.25 है 0 की आबादी भूमि जो गलत अंकित हो गई है। की अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवाये तथा सम्पूर्ण रकबा में अपने नाम की खातेदारी अंकित करवाये बस यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा होना लाजिम आया है। सरकार के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व विधिवत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी की उक्त भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया है। इस कारण ग्राम पंचायत वादी की उक्त भूमि में पट्टे काटकर बेचान कर सकती है इसलिए प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। घोषणा इस अमर की फरमाई जावे की वादी विवाधित आराजी खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है 0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा की खातेदार है। खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है 0 अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि आबादी में संपरिवर्तन करवाने से राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी को हजफ फरमायी जाकर वादी के नाम 0.25 है 0 अर्थात् 2500 वर्ग मीटर की खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्ड ऑफ राइट्स को दुरुस्त फरमाया जावे ।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस की कि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है 0 को गै0मु0 आबादी में संपरिवर्तन करवाया था जिसका जरिये नामान्तकरण उक्त संपरिवर्तन भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी में दर्ज कर दिया जिससे वादी की खातेदारी भूमि समाप्त हो गयी। संपरिवर्तन भूमि सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी में दर्ज हो जाने के कारण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा भूमि के पट्टे काट सकती है जिससे वादी को नुकसान होने की पूर्ण सम्भवाना है अतः वादी के नाम उक्त रकबे की खातेदारी दर्ज करते हुए किस्म गै0मु0 आबादी करने हेतु दावा डिक्री करने के आदेश फरमाये जावे।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

कमशः

प्रकरण मे वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है० अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि का इस कार्यालय से गै० मु० आबादी मे संपरिवर्तन करवाया गया था जिसके नामान्तरण संख्या 620 दिनांक 25.05.2011 से संपरिवर्तन भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै० मु० आबादी मे दर्ज कर दिया गया इससे वादी की खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। संपरिवर्तन भूमि का राजस्व रिकार्ड मे वादी की खातेदारी रखते हुए किस्म गै० मु० आबादी मे दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल बी मे हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2070-73 मे दर्ज खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है० (2500 वर्ग मीटर) सिवाय चक बिला लगानी गै० मु० आबादी को खाता संख्या 1 से हजफ कर वादी आनन्दी लाल पुत्र उँकार जाति रेगर निवासी चौथ का बरवाडा के नाम खसरा नम्बर 5484/2478 रकबा 0.25 है० (2500 वर्ग मीटर) किस्म गै० मु० आबादी की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27/9/11 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रघुनाथ खटीक)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा